निजी स्कूलों की फीस का निर्धारण

मुनाफाखोरी पर लगाम की कोशिश

जस्टिस शिवकुमार शर्मा से निशी खण्डेलवाल की बातचीत

राजस्थान में निजी स्कूलों की फीस निर्धारित करने के लिए 'राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013' कानून के तहत एक समिति बनाई गई है। समिति के द्वारा किए जा रहे कामकाज, अनुभवों एवं चुनौतियों को समझने के लिए समिति अध्यक्ष के साथ यह बातचीत की गई है।

प्रश्नः हम मीडिया की खबरों के जरिए निजी स्कूलों की फीस निर्धारण समिति के कामकाज के बारे में जानते रहे हैं। 'राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013' के बनने और समिति के कार्य के बारे में आप कुछ बताइए।

उत्तरः 2004 में एक जनहित याचिका अभिभावकों द्वारा लगाई गई जिसमें निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी को रोकने के मुद्दे उठाए गए, उसी के अन्तर्गत 'राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) अधिनियम 2013' कानून बना। यह 1 अगस्त, 2013 से राजस्थान में लागू हुआ। मुझे 22 अगस्त, 2013 को इसका अध्यक्ष बनाया गया। हमारी समिति इस कानून की धारा 5 के अन्तर्गत गठित हुई है। इसमें अध्यक्ष के अलावा छः अन्य सदस्य हैं। मैं, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त जज, इसका अध्यक्ष हूं और इसके अलावा शासन सचिव, विद्यालय एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान, सदस्य; निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, पदेन सदस्य; निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, पदेन सदस्य; निदेशक, संस्कृत शिक्षा, पदेन सदस्य; मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, पदेन सदस्य; उप सचिव, विद्यालय शिक्षा (ग्रुप 5) विभाग, पदेन सदस्य सचिव हैं।

राजस्थान में हमारे वेबपोर्टल पर करीब 32,500 (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत पंजीकृत) निजी स्कूल रजिस्टर्ड हैं। सभी निजी स्कूल अपने बहीखातों का विवरण ऑनलाइन देते हैं। इनमें 28,000 स्कूलों के खातों के विवरण हमें मिल चुके हैं। इस अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत हम आधारभूत सुविधाओं, प्रशासनिक खर्च, स्कूल की अवस्थिति तथा स्कूल के विकास के लिए युक्तियुक्त अधिशेष आदि को देखते हुए कानून की धारा 6(2) के तहत एक प्रस्तावित फीस तय करते हैं। इसके बाद स्कूलों से इस कानून की धारा 6(3) के तहत आपत्तियां मांगते हैं जो उन्हें एक महीने के भीतर पेश करनी होती हैं। यदि स्कूल कुछ आपत्तियां पेश करते हैं तो उनका एक महीने में निस्तारण करते हुए धारा 6(4) के तहत तीन साल के लिए फीस निर्धारित करते हैं। संक्षेप में फीस निर्धारण का यह तरीका है जिसे अपनाते हुए अभी तक 17,500 स्कूलों की फीस तय की जा चुकी है।

प्रश्नः इस कानून में समिति के दो तरह के ढांचे नजर आते हैं- राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर। इन दोनों समितियों के मध्य कार्य विभाजन किस प्रकार है?

उत्तरः राजस्थान के सभी जिलों में इन समितियों का गठन हो चुका है। जिला समिति में जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) इस समिति के अध्यक्ष हैं, इसके अलावा आठ सदस्य और हैं। ये

जस्टिस शिव कुमार शर्मा

जस्टिस शर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जज हैं। जुवेनाइल जस्टिस के अन्तर्गत बने ऑब्जरवेशन होम्स की स्थिति सुधारने के लिए बहुत काम किया है। इसके अलावा जस्टिस शर्मा बहुत अच्छे कवि के रूप में भी जाने जाते हैं।

निशी खण्डेलवाल

पिछले 5 वर्षों से दिगन्तर में असिस्टेंट फेलो के पद पर काम कर रही हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक क्षेत्र में विभिन्न मुद्दों पर करीब 10 साल कार्य करने का अनुभव है।

जिला समितियां राज्य समिति के निर्देशन में जांच करने या स्कूलों से आंकड़े इकट्ठे करने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त उनके पास फीस निर्धारण की शक्ति या अन्य शक्तियां नहीं हैं।

प्रश्नः इस कानून के क्रियान्वयन में किस तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं? आपके क्या अनुभव हैं?

उत्तरः सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि शिक्षा कोई व्यवसाय नहीं है और निजी स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर सकते जबकि निजी स्कूल मनमाने तौर पर फीस वसूल कर रहे हैं, कॉपी-किताबें बेच रहे हैं। निजी स्कूल इस अधिनियम के इतने विरोध में हैं कि इस समिति को अपने बहीखाते नहीं देना चाहते थे इसलिए उन्होंने मिलकर 31 जुलाई, 2014 से आन्दोलन शुरू कर दिया और स्कूल बंद कर दिए। हमने कहा बहीखाते न देने पर हम कार्यवाही करेंगे। हम उनके बहीखातों के आधार पर ही फीस निर्धारित करेंगे और वे इसके हिसाब से काम कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का कारण भी यही है कि हाथ से काम करने में भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी। शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार इतना है कि हमारे दो लोग पहले ही ठेकेदारी कर लेने के चलते भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा पकड़े गए। ऑनलाइन में किसी को समिति दफ्तर में आने की जरूरत ही नहीं है।

मैंने यह भी महसूस किया है कि अभिभावकों के भी संगठन बने हुए हैं। कुछ स्कूलों की शिकायत सामने आईं तो पता लगा कि अभिभावक भी इसका दुरुपयोग करते हैं। एक अभिभावक तो इस तरह की नेतागिरी करते हुए वार्ड मेम्बर भी बन गए। कुछ लोग अपने स्वार्थों के चलते काम करते हैं। एक पढ़े-लिखे अभिभावक मेरे पास आए और कहने लगे कि आप यह चैक लीजिए और फीस जमा कराकर आइए! वास्तव में जिन अभिभावकों को परेशानी है वे तो बोलते ही नहीं हैं। वे बच्चे के भविष्य के लिए शोषण बर्दाश्त कर लेते हैं। पहले निजी स्कूल प्रवेश फार्म को ही चार-चार हजार रुपये का देते थे। हमने सबसे पहला काम यह किया है कि प्रवेश फार्म के दो सौ रुपये तय कर दिए। स्थानान्तरण प्रमाणपत्र आदि के अनाप-शनाप पैसे लेते थे जिसे हमने 50 रुपये कर दिया। मुझसे किसी तीसरे व्यक्ति ने शिकायत की कि एक नामी स्कूल प्रोस्पेक्टस 800 रुपये का दे रहा है। जबकि हमारी समिति द्वारा इसकी निर्धारित राशि 200 रुपये है। स्कूल का कहना था कि हम केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं इसलिए यह नियम हम पर लागू नहीं होता। मैंने अखबार वालों से बात की लेकिन किसी ने नहीं छापा। हो सकता है कि उन्होंने भी मिली-भगत कर ली हो। अब यदि कोई लिखित में शिकायत करे तभी तो हम कार्यवाही करें।

अल्पसंख्यक स्कूल वाले कहने लगे कि हम पर यह कानून लागू नहीं होता। मैंने कहा कि फैसले का पैरा 89 पढ़ो। इस कानून की जद में हरेक निजी स्कूल आता है। आप शिक्षा के अधिकार कानून में 25 प्रतिशत आरक्षण देने से तो बाहर हो गए हैं लेकिन फीस निर्धारण से बाहर नहीं हुए हैं। कानून के क्रियान्वयन में हमसे जितना कुछ हो सकता है हम कर रहे हैं।

इस कानून के उल्लंघन पर इनकी मान्यता रद्द करने का निर्देश दिया जा सकता है। शिक्षा विभाग कार्यवाही करने में बहुत धीमा है और एक समस्या यह भी है कि बहुत से जनप्रतिनिधियों के खुद के स्कूल हैं।

प्रश्नः संभवतः शिकायत करने वाले अभिभावक को बच्चे के साथ स्कूल द्वारा दुर्व्यवहार का डर रहता होगा। क्या आपके यहां शिकायत को गोपनीय रखने की व्यवस्था है?

उत्तरः कोई शिकायत करे तो हम उसे गोपनीय भी रखते हैं। यदि कोई भी स्कूल जाता है और उसे किसी तरह की समस्या महसूस हो तो वह शिकायत कर सकता है। हम उस पर कार्यवाही भी करेंगे। पर वास्तविक पीड़ित शिकायत नहीं करता। जो बड़े स्कूल हैं और अनाप-शनाप फीस लेते हैं वहां पर जो गलत तरीकों से पैसे कमा रहे हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो वे शिकायत क्यों करेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

प्रश्नः इस समिति में आपके अलावा सभी सदस्य सरकारी मुलाजिम हैं। क्या समिति के कार्य करने में यह रुकावट पैदा नहीं करता है?

उत्तरः अभी तक तो किसी तरह की रुकावट पैदा नहीं हुई। हमने कोशिश की और सख्त कदम उठाए तभी तो स्कूलों ने आन्दोलन कर दिया। मैं आन्दोलन को हमारे काम करने की सफलता मानता हूं। इसका मतलब है कि हमने जनहित में सही काम किया।

प्रश्नः निजी स्कूलों की लॉबी तो काफी शक्तिशाली है। क्या आपके ऊपर किसी तरह के दबाव नहीं आते?

उत्तरः देखिए, मुझ पर दबाव का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यदि मैं दबाव में आता तो निजी स्कूलों का आन्दोलन नहीं होता। मैंने तो बहुत से आन्दोलनों का सामना किया है। 32,500 स्कूलों में से करीब 4,500 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने बहीखाते नहीं दिए हैं। इनकी मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही हम कर रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का निर्णय आया है कि यदि स्कूल इस समिति के समक्ष दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो उनकी पूरी फीस वसूली पर रोक लगाई जाए। लेकिन यह रोक तो सरकार ही लगाएगी।

प्रश्नः यदि आपने स्कूल की मान्यता समाप्ति का आदेश दे दिया तो फिर...

उत्तरः यदि समिति ने निर्देश दे दिया है तो सरकार को करना तो पड़ेगा। फीस बढ़ाने को लेकर हमने आदेश निकाल दिया था कि जब तक यह समिति निजी स्कूलों की फीस निर्धारित नहीं कर देती तब तक वे अपनी फीस नहीं बढ़ा सकते। हमारा काम थोड़ा धीमी गति से चल रहा था। हमने एक साल में हाथ से काम करते हुए करीब 200 स्कूलों की फीस निर्धारित की थी। इसलिए निजी स्कूलों ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज कर दी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि फीस बढ़ा लें लेकिन इसकी एक अन्डरटेकिंग दें कि जब फीस तय हो जाएगी तो उसके हिसाब से बची फीस अभिभावकों को वापस कर देंगे।

प्रश्नः क्या आपको इस कानून में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण के प्रावधान निजी स्कूलों की मुनाफाखोरी को नियंत्रित करने के लिए समुचित लगते हैं?

उत्तरः मुझे लगता है कि प्रावधान तो समुचित हैं लेकिन असली बात इन्हें सरकार के द्वारा क्रियान्वित करने की है।

प्रश्नः आपकी समिति की निर्णय प्रक्रिया क्या होती है?

उत्तरः हम सब बैठकर बात करते हैं। स्कूलों के दस्तावेज होते हैं और हम फार्मूला लगाकर फीस निर्धारित करते हैं। मेरा निजी स्वार्थ तो कोई है नहीं। मुझे इस समिति से किसी तरह के आर्थिक लाभ की भी दरकार नहीं है। मेरी पेंशन ही इतनी आ जाती है कि मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। मेरा काम तो समाज सेवा का है जिसे मैं कर रहा हूं।

प्रश्नः तीन साल बाद स्कूलों के फीस बढ़ाने के क्या मापदण्ड होंगे?

उत्तरः अभी तीन साल के लिए फीस निर्धारित की है उसके बाद प्राइस इंडेक्स के आधार पर स्कूल फीस बढ़ा सकेंगे। यदि शिक्षकों की तनख्वाह वगैहरा बढ़ती हैं तो उसके आधार पर फीस बढ़ाएंगे। हर साल कन्जूमर प्राइस इंडेक्स के अनुपात के आधार पर ही फीस बढ़ेगी। साल 2013 में प्राइस इंडेक्स 206 था जबकि 2014 में यह 224 हो गया। इसका मतलब हुआ कि लगभग 10 फीसदी मंहगाई बढ़ी। उसी हिसाब से फीस के ढांचे में भी बढ़ोतरी होगी।

प्रश्नः मान लीजिए, एक स्कूल अध्यापकों की तनख्वाह नहीं बढ़ा रहा है लेकिन प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वह फीस बढ़ा रहा है तो इस पर आप क्या करेंगे?

उत्तरः इसका तो फिर क्या इलाज है। देखिए, व्यवहार में तो यह भी होता है कि शिक्षकों को चैक के द्वारा पूरी तनख्वाह दी जाती है और फिर शिक्षकों से वापस ले लेते हैं। इस तरह की भी शिकायतें हैं कि चैक से 25 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, जब शिक्षक चैक भुनाकर लाता है तो 10 हजार रुपये स्कूल वापस ले लेता है। अब शिक्षक ही वापस दे रहा है तो इसका हम क्या कर सकते हैं। यदि किसी की नियत ही खराब है तो उसका क्या इलाज है।

प्रश्नः समिति द्वारा स्कूल की फीस तय कर देने के बावजूद यदि स्कूल ज्यादा फीस लेते पाया जाता है तो कानून के हिसाब से उस पर क्या कार्यवाही होगी?

उत्तरः समिति के द्वारा धारा 6(4) के तहत अन्तिम रूप से फीस निर्धारित करने के बाद ज्यादा फीस लेते पाए जाने पर स्कूल को तीन साल तक की सजा हो सकती है। हम उस इलाके के मजिस्ट्रेट से अनुशंषा कर उसकी मान्यता

रद्द करवा सकते हैं। यही तो इन निजी स्कूलों को डर है कि समिति जो फीस निर्धारित कर देगी उससे ज्यादा ये लोग नहीं ले पाएंगे।

प्रश्नः इसका मतलब है कि इसका क्रियान्वयन होगा?

उत्तरः फीस निर्धारित हो तो क्रियान्वयन भी होगा। अब प्रक्रिया को ऑनलाइन कर कक्षावार फीस तय की जा रही है। इसके लिए एक फार्मूला तय किया है उससे भी कम्प्यूटर और इन्टरनेट पर तय करने में वक्त लग रहा है।

प्रश्नः क्या समिति की महीने में सिर्फ दो ही बैठकें हो सकती हैं?

उत्तरः नहीं, ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन समस्या यह है कि सरकारी अधिकारी कितने दिन आ सकते हैं।

प्रश्नः कानून आधारभूत सुविधाओं, स्कूल की अवस्थिति, रख-रखाव एवं प्रशासनिक खर्चों के आधार पर फीस निर्धारित करने की बात करता है। लेकिन क्या आप स्कूलों पर कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं कि वे जो दस्तावेज पेश करेंगे वे सही ही होंगे?

उत्तरः हमने कहा है कि स्कूल चार्टेड अकाउन्टेंट के द्वारा ऑडिट किए हुए प्रमाणित दस्तावेज ही पेश करें। हमने चार्टेड अकाउन्टेंट का फोन नम्बर भी मांगा है।

प्रश्नः मान लीजिए, कोई व्यक्ति एक स्कूल चलाता है और वह चार्टेड अकाउन्टेंट से मिलकर गलत दस्तावेज पेश कर दे तो इसका प्रमाणीकरण किस तरीके से होगा? क्या समिति स्कूल के द्वारा पेश की गई जानकारियों की जांच के लिए भौतिक सत्यापन का तरीका अपनाती है?

उत्तरः यदि चार्टेड अकाउन्टेंट ही गड़बड़ी करेगा तो फिर इसका क्या इलाज है! हमें कहीं तो विश्वास करना होगा। हमने ऑडिट किए हुए दस्तावेज मांगे हैं, उसमें स्कूल यदि थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर भी खर्चे पेश करें और उनके द्वारा बताए खर्चों को जस का तस भी मान लें तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा।

हमने एक फार्मूला बनाया है। इस फार्मूले में वर्ष 2014-15 के लिए प्रस्तावित औसत फीस, वर्ष 2013-14 और इससे पूर्व के दो सालों 2012-13, 2011-12 की वास्तविक औसत फीस के ढांचे को शामिल कर इसे फलाया है। इसके साथ ही 2011-12 से 2014-15 तक के लिए वार्षिक वृद्धि दर भी तय की है जो कि 10 से 11 प्रतिशत सालाना है जो मंहगाई के आधार पर होगा। हमें लगता है कि इस फार्मूले से उनके पहले के फीस के ढांचे और प्रस्तावित ढांचे के बीच में एक तरह का संतुलन रहेगा।

बहुत से स्कूलों ने शिक्षा के अधिकार कानून में 25 प्रतिशत आरक्षित कोटे की फीस लेने के चक्कर में अपनी फीस बढ़ा दी है जबकि सरकार ने इन बच्चों के लिए 14 हजार रुपये तक के पुनर्भरण की व्यवस्था की है। मैं यह सोच रहा हूं कि बड़े स्कूलों के लिए लोक अदालत का फार्मूला लगाऊं। मैं उसमें बड़े स्कूलों को बुलाऊंगा और उनसे सलाह करके फीस तय करेंगे।

प्रश्नः क्या आपको लगता है कि लोक अदालत के जरिए अभिभावकों के हित में निर्णय हो पाएगा?

उत्तरः क्यों नहीं होगा। मैं उनके हित में बोलूंगा न। बड़े स्कूलों में वे ही लोग जाते हैं जो समर्थ हैं, पैसे वाले हैं।

प्रश्नः मैं एक स्कूल का फीस का ढांचा देख रही थी। उसमें प्रवेश फार्म से शुरू होता है और उसके बाद विभिन्न मदों; एडमीशन, आई कार्ड, ट्यूशन, सालाना फीस, कॉशनमनी, और यदि भ्रमण पर जाते हैं तो उसकी अलग से फीस ली जाती है। इसके अलावा कपड़े और किताबें खरीदने के लिए दुकानें भी स्कूल तय करते हैं।

उत्तरः हम साल भर की फीस निर्धारित करते हैं। कोई भी स्कूल इस समिति द्वारा निर्धारित फीस से ज्यादा फीस नहीं ले सकता। अब इस फीस को स्कूल किस मद में बांटे यह उसका मामला है, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं। लेकिन स्कूल तय फीस से ज्यादा नहीं ले सकते। हमने यह भी निर्देश दिए हैं कि आप किताबों और यूनीफॉर्म के लिए न तो दुकानें बता सकते हैं और न ही इन्हें खुद बेच सकते हैं। सिद्धान्त यही है कि स्कूल मुनाफाखोरी नहीं कर सकते।

प्रश्नः कॉशनमनी का क्या, यदि कोई बच्चा पांच-सात साल स्कूल में रहता है तो यह लगभग दोगुनी हो जाती है। इस कॉशनमनी से भी स्कूल का मुनाफा होता है?

उत्तरः कॉशनमनी तो वापस लौटानी होती है। यह कर सकते हैं कि ब्याज के रूप में जो पैसा कमाया है उसे वापस लौटाया जाए लेकिन स्कूल लौटाते नहीं हैं। हमने कोशिश की है और जब इतनी सख्ती दिखाई है तभी तो इन स्कूलों ने आन्दोलन किया है।

प्रश्नः इस कानून को पढ़ते हुए यह लग रहा था कि यदि आय-व्यय के आधार पर फीस तय हो रही है तो स्कूल कानून से बचने की गलियां भी निकालते होंगे। वे किस तरह की गलियां निकालते हैं?

उत्तरः क्या गलियां निकाल रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं, पर आन्दोलन जैसी चीजें तो मेरे खिलाफ हुईं। हमारा सिद्धान्त अलग है। जैसे तारे का काम चमकना है, अब प्रकाश हुआ कि नहीं; यह देखना उसका काम नहीं। उसी तरह हम तो अपना काम कर रहे हैं।

प्रश्नः मैं आपके ही दस्तावेजों में देख रही हूं कि बहुत से स्कूलों ने अभी तक समिति को अपने दस्तावेज ही जमा नहीं करवाए हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर में वेबपोर्टल पर 4410 स्कूल रजिस्टर्ड हैं। इनमें से फीस निर्धारण के लिए सिर्फ 3193 स्कूलों ने ही रजिस्टर किया है जबकि दस्तावेज 3086 ने ही जमा करवाए हैं। इसकी क्या वजह हैं?

उत्तरः ज्यादातर स्कूल गलत-सलत वसूली करते हैं। बहुत से स्कूल तो जनप्रतिनिधियों के हैं। हम धीरे-धीरे नियंत्रित कर रहे हैं और उनकी मान्यता समाप्त करने के लिए हम उच्च न्यायालय और शिक्षा विभाग को भी लिख रहे हैं।

प्रश्नः आपको क्या लगता है कि दस्तावेज पेश नहीं करने वाले स्कूल कौनसे हैं?

उत्तरः ऐसा छोटे स्कूल ज्यादा कर रहे हैं। बड़े स्कूलों के तो खाते होते हैं। जो फीस लेते हैं वह भी खुले में है। उनका ऑडिट होता है लेकिन छोटे स्कूलों में ये व्यवस्थाएं नहीं हैं। यदि आप देखेंगे तो नेताओं के स्कूल आपको बहुत मिल जाएंगे और बड़े स्कूल वालों के नेताओं से ताल्लुकात हैं।

प्रश्नः क्या आपको छोटे और बड़े निजी स्कूलों की फीस वसूली के रवैये में कोई फर्क दिखाई देता है?

उत्तरः मुनाफाखोरी तो सभी करते हैं पर इस कानून के आने के बाद इन पर थोड़ी लगाम लगी है। लेकिन इस देश में भ्रष्टाचार इतना है कि सब तरीके निकाल लेते हैं।

प्रश्नः कुछ जगहों पर एक ही स्कूल की दो शाखाएं हैं, एक शाखा में आधारभूत सुविधाएं दूसरी शाखा से कम हैं जबकि फीस का ढांचा समान है। इसे आपकी समिति किस तरह देखती है?

उत्तरः हम तो मुनाफाखोरी ज्यादा देखते हैं। यदि स्कूल इस तरह के मदों में खर्च दिखाता है जो अनुचित हों या अत्यधिक हों जैसे विज्ञापन पर तो हम उसे काट देते हैं। हम सुविधाओं का ध्यान तो रखते हैं लेकिन फीस निर्धारित करते हुए ज्यादा ध्यान मुनाफाखोरी पर ही देते हैं।

प्रश्नः निजी स्कूल तो भांति-भांति के हैं। आप इन स्कूलों की कुछ श्रेणियां बनाकर फीस तय करते हैं या हरेक स्कूल की अलग-अलग तय करते हैं?

उत्तरः हमने कुछ श्रेणियां तय की हैं। जैसे, 10 हजार सालाना फीस वाले स्कूल। उसके बाद उससे ज्यादा और फिर बड़े स्कूल। हमने जैसे 39 बड़े स्कूलों की एक अलग श्रेणी बनाई है।

प्रश्नः अभी तक आधे स्कूल बचे हैं जिनकी फीस निर्धारित होनी है। आपका लक्ष्य क्या है कि आप कब तक सभी स्कूलों की फीस निर्धारित कर देंगे?

उत्तरः सीमित संसाधनों में हम कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जितने स्कूलों की फीस निर्धारित हुई है उसे अन्तिम रूप दे दें, उसके बाद बाकी स्कूलों की भी करेंगे। मेरा कम्प्यूटर नहीं चलता, मेरे पास फोन नहीं है। अब इस वजह से काम तो नहीं रुक सकता न।

प्रश्नः क्या आपको नहीं लगता कि यह सरकार का असहयोग है?

उत्तरः असहयोग तो क्या पर यह कहा जा सकता है कि सरकार इसे प्राथमिकता नहीं दे रही है। इस समिति के लिए सरकार ने पूरा स्टाफ, मशीनरी नहीं दी, जितना मिला है उसी में काम कर रहे हैं। निजी स्कूल वाले चुनाव लड़ने के लिए नेता को चंदा देते हैं। यदि वह मंत्री बन जाएगा तो वह क्यों इन पर कार्यवाही करेगा।

आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा में अध्यक्ष का मानदेय एक बैठक का पच्चीस हजार है जबकि यहां पर दो हजार रखा गया है। यह हमारी गरिमा के अनुकूल नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि कोई चुनौती मिली है तो इस पर काम करेंगे। इसलिए मैंने अभी तक कोई मानदेय लिया भी नहीं है। मैं 22 अगस्त 2013 को समिति का अध्यक्ष बना और 21 अगस्त 2016 तक हूं। इस बीच मुझे स्कूलों को परेशान नहीं करना और न उन्हें छूट देनी है। संतुलन बनाते हुए मुझसे जो बन पड़ेगा उसे मैं जनहित में पूरा करूंगा।

प्रश्नः इस समिति का गठन कांग्रेस सरकार के वक्त पर हुआ और उसके कुछ ही समय बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। क्या सरकार के बदलने का समिति के कामकाज पर कोई असर हुआ?

उत्तरः नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पडा। दरअसल यह कानून है और उच्च न्यायालय इसकी निगहबानी कर रहा है। इसलिए इसमें कोई राजनैतिक हस्तक्षेप नहीं है। निजी स्कूलों ने आंदोलन ही इसीलिए किया था कि मुझे हटवा दें। मैं अशोक गहलोत के समय अध्यक्ष बना। इन्होंने सोचा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्हें हटवा देंगे। हमने कभी पार्टी के हिसाब से काम नहीं किया। मुझे हटा भी नहीं सकते। सरकार ने मेरे काम को देखकर ही मुझे इसका अध्यक्ष बनाया है। मैंने तय कर लिया है कि सरकार सहयोग करे या न करे मुझे तो मेरा काम करना है। मैंने पहले भी जुवेनाइल जस्टिस के क्षेत्र में काफी काम किया है।

प्रश्नः हम यह समझना चाहते हैं कि एक तरफ सभी सरकारें निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और सेवाओं को बाजार के हवाले किया जा रहा है। दूसरी तरफ निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण के लिए यह समिति बनाई गई है। ऐसे में इस कानून और समिति के औचित्य को कैसे समझा जाए?

उत्तरः आप यह तो मानेंगे कि शिक्षा के निजीकरण में सरकारों का सहयोग है। सरकारी स्कूलों के पतन की वजह ही यह है कि उन पर ध्यान नहीं दिया गया। वहां बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता जबकि सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तनख्वाह अधिक है। वास्तव में तो निजी स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है। कानून तो उच्च न्यायालय में पीआईएल लगी उसके निर्देशन में बना। सरकार यह कानून थोड़े लाने वाली थी।

प्रश्नः कुछ उदाहरण ऐसे सामने आते हैं जिनमें उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को समझना मुश्किल है। जैसे उच्च न्यायालय के एक जज ने एक निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत पर कहा कि यदि आपको इस स्कूल से दिक्कत है तो आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। आप इस टिप्पणी को कैसे देखते हैं?

उत्तरः देखिए, जज भी तो वही हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं। जज भी अप्रोचेबल हैं, जज कोई इंडिपेन्डेंट नहीं हैं। उन्होंने इस कानून को पढ़ा ही नहीं है इसलिए उन्हें इसकी समझ नहीं है। यदि न्यायालय यह कहता है कि बच्चों को हटा लो तो कोई कह सकता है कि क्यों हटा लें? लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर भी है। जब अभिभावक अपने बच्चों को न्यायालय में लाते हैं तो जज इससे चिढ़ जाता है। बच्चों को न्यायालय में क्यों पेश किया। जुवेनाइल जस्टिस में कानून है कि पुलिस वाला भी वर्दी में बच्चों से पूछताछ नहीं कर सकता। पुलिस वाला भी सिर्फ गिरफ्तार करते हुए ही वर्दी में रह सकता है।

प्रश्नः आपको क्या लगता है कि स्कूलों की मनमानी पर इस समिति का थोड़ा-बहुत असर पड़ा है?

उत्तरः असर तो पड़ा ही है। हमने जितना काम किया है उससे घर-घर में लोग इस समिति के बारे में जानने लगे हैं। लोगों को शिकायत करने का एक मंच मिल गया है। वॉट्स एप्प पर भी पूरे राजस्थान से मेरे पास शिकायतें आती रहती हैं। ◆